न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—279/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/279)

1. हजारी पुत्र पीथा जाति रावत निवासी ग्राम माता का थान सांगरवास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पप्पूसिंह पुत्र पदमसिंह
2. प्यारी पुत्री पदमसिंह
3. पिरता पुत्री पदमसिंह **फौत नाम तर्क**
4. संतरा पुत्री पदमसिंह **फौत नाम तर्क** (नाबालिगान जरिए संरक्षक वली माता
5. इन्द्रा पुत्री पदमसिंह नैनी बेवा पदमसिंह)
6. चिम्मनसिंह पुत्र लालसिंह
7. नैनूसिंह पुत्र लालसिंह
8. श्रीमती कैली पुत्री लालसिंह
9. श्रीमती फैफी बेवा धन्नासिंह **फौत नाम तर्क**
10. पुखराज पुत्र धन्नासिंह
11. नारायण पुत्र धन्नासिंह
12. बीरमसिंह पुत्र शेरसिंह
13. गोपालसिंह पुत्र मिठूसिंह
14. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि बिरधासिंह
15. कालूसिंह पुत्र बिरधासिंह
16. देवा पुत्र बिरधासिंह
17. निर्मला पुत्री बिरधासिंह
18. टीपू पुत्री बिरधासिंह

    समस्त जाति रावत निवासी सांगरवास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जिला ब्यावर।
20. उप—पंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।
21. जिला कलक्टर अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर राजस्व वाद संख्या 91/2015(2015/00481).

उपस्थितः—

1. श्री दिलीपसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 19 से 21
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 से 8 व 10 से 18 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2015(2015/00481) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद को दर्ज कर वाद का नोटिस प्रतिवादी को जारी किया गया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 6 तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2022 के द्वारा वादी के वाद को खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2015(2015/00481) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 से 8 व 10 से 18 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2022 की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को नहीं दी गई उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को हाल ही में गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ब्यावर अपने वकील साहब के पास गया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई तथा वकील साहब द्वारा उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जो पूर्व में ले रखी थी अपीलांट को दी और राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के न्यायालय में अपील पेश करने की सलाह दी। तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलंब के आज न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5- ***When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.***

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर ब्यावर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी अपने 1/3 हिस्से अनुसार उक्त आराजी में काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उसका भी उक्त आराजीयात में हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इस कारण परीक्षण न्यायालय को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना चाहिए था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर ब्यावर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार उजीरा थे तथा उजीरा के देहान्त के बाद चार पुत्र लालसिंह, धन्नासिंह, पीथासिंह व छोगा हुए तत्पश्चात छोगा नाऔलाद फौत हो चुका था इस प्रकार उक्त आराजी के तीनों पुत्र खातेदार काश्तकार हो गये जिनका प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा हो गया पीथासिंह के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से का वादी खातेदार हो गया लालसिंह के देहान्त के बाद उसके 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण सं० 1 से 9 हो चुके है एंव धन्नासिंह के देहान्त के बाद उसके 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण सं० 10 व 12 हो चुके है इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 12 की उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। वादी अपने 1/3 हिस्से अनुसार उक्त आराजी में काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी में से वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में अपना नाम अंकित करवा लिया वादी व उसके पिता का नाम नहीं करवाया इसी प्रकार वाद में वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं० 7 व पदमसिंह व राजूसिंह ने अपना नाम अंकित करवा लिया किन्तु अन्य वारिसान जिसमें वादी भी शामिल है का नाम अंकित नहीं करवाया इसी प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम तो अंकित करवा दिया किन्तु समस्त वारिसान का नाम अंकित नहीं करवाई गई है इस प्रकार तीनों ही आराजीयात में स्व० उजीरा के समस्त वारिससान के नाम आराजी अंकित नहीं करवाई गई। विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि होकर शामलाती खाते की आराजी है तथा उक्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एंव रेस्पोडेंट उक्त आराजी में से अपीलांट के 1/3 हिस्से से अपीलांट को जबरन बेदखल करने एंव आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री करना चाहिए था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट वादी के वाद को खारीज करने मे त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर ने वाद पत्र में बनाई गई सभी तनकियात अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। जबकि अपीलाट ने राजस्व रेकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात से अपने वाद पत्र को बखूबी साबित कर दिया था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2015(2015/00481) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या–3 *आया वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है?*.....**वादी**

वादी द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 उनके विरूद्ध तय की गई है व खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नहीं होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 18 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाए जाने से तनकी संख्या 3 भी अपीलांट के विरूद्ध सिद्ध होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय तर्कसंगत किया गया है।

तनकी संख्या–4 *आया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1528, 1616, 1615, 1527, 1601 को वादी हजारी पुत्र पीथा ने अपना 1/3 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 11.5.1982 के जरिए तथा इसी प्रकार 1614/1, 1101 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के क्रमशः पति व पिता पदमा उर्फ पदमसिंह ने अपना 1/3 हिस्सा जरिए रजि0 बेचाननामा दिनांक 11.5.1982 के द्वारा शेरसिंह, मिठूसिंह व बिरदसिंह पि0 भूरसिंह को बेचान कर कब्जा संभला दिया। अतः उपरोक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से वाद खारिज योग्य है?*....**प्रतिवादी संख्या 13 से 15**

प्रतिवादी संख्या 12 से 18 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.5.1982 के तीन बेचाननामे की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1101 व 1102 जिसके हाल खसरा नम्बर 1614, 1616 बने है। खसरा नम्बर 1102 जमाबंदी में उजीरा वल्द जेता के नाम अंकित थी, जिसके अनुसार हजारी वल्द पीथा/अपीलांट ने अपना 1/3 हिस्सा बेचान किया है। खसरा नम्बर 1101 लालू वल्द उजीरा के नाम दर्ज चली आ रही थी व उसके पुत्र पदमा वल्द लालू द्वारा 1/3 हिस्से का दिनांक 11.5.1982 को बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय विधिसम्मत किया है। अतः तनकी संख्या 4 भी विरूद्ध अपीलांट तय की जाती है।

तनकी संख्या–5 *आया वादी द्वारा मिठुसिंह के अन्य वारिसान तथा अन्य आवश्यक पक्षकारान को वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है अतः वादी का वाद नॉन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के अभाव में निरस्त योग्य है?...* **प्रतिवादी संख्या 13 से 15**

उक्त तनकी के अनुसार मिठुसिंह के वारिसान दाखू, मंगलसिंह, शांता, पाना, कमला, पीना व महेन्द्र, जीवणसिंह गुटा तथा शेरसिंह के अन्य वारिसान बादरसिंह गुलाबी कंचन गीता नोरती को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। मिठुसिंह व शेरसिंह के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया व इसके संबंध में अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई जवाब प्रस्तुत किया है व ना ही रेस्पोडेंट्स के कथनों से इंकार किया है। अपीलांट द्वारा आवश्यक पक्षकारों को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाए जाने से उक्त तनकी रेस्पोडेंट्स के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–6 *अनुतोष क्या है?*

वादी द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी बताया गया था परंतु उनके द्वारा कोई ऐसे साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए कि विवादित आराजीयात की पुश्तैनी होने बाबत पुष्टि हो सके। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि को पुश्तैनी साबित कर पाने मे वह विफल रहे है। अपीलांट यह साबित करने में सफल नहीं रहे है कि विवादित आराजीयात में उनके हक अधिकार किस सीमा तक बनते है। इस परिस्थिति में वादी व प्रतिवादीगण जरिए बेचान व हक त्याग के उप–पंजीयक कार्यालय में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की न्यायिक व तकनीकि त्रुटि कारित नहीं किए जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 19 से 21 वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

8. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 6 तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2022 के द्वारा वादी के वाद को खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण 6 तनकीयों के आधार पर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा तनकीयों का अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या–1 *आया कि वादपत्र के पद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी होने से वादी का भी उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा चला आ रहा है। अतः वादी एवं उसके पिता पीथा का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्से बाबत अंकित करवाया जावे?*.....**वादी**

वादी द्वारा अपनी अपील के माध्यम से विवादित आराजीयात को पुश्तैनी आराजीयात बाबत कथन किए गए है। परंतु उनके द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त आराजीयात के पुश्तैनी होने की पुष्टि होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में फोटो प्रति पेश कि गई है जिसमें खसरा नम्बर 1101 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है, जिससे हाल खसरा नम्बर 1614 बने है। प्रतिवादी संख्या 12 से 18 द्वारा बेचाननामा दिनांक 11.05.1982 की फोटो प्रति पेश कि है। जिसमें खसरा संख्या 1101 लालू वल्द उजीरा के नाम दर्ज चली आ रही थी तत्पश्चात उनके पुत्र पदमा वल्द लालू द्वारा 1/3 हिस्सा बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 ने दिनांक 18.12.2013 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। परंतु उनके द्वारा यह कहीं पर भी साबित नहीं किया गया है कि उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी है व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से उनके हक अधिकार उक्त आराजीयात में चले आ रहे हो। चूंकि उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे न्यायालय हाजा के समक्ष विवादित भूमि के पुश्तैनी होने की पुष्टि हो सके। केवल मात्र राजीनामे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय विधिक रूप से किया गया है।

तनकी संख्या–2 *आया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारे की डिक्री पारित की जावे तथा वादी का 1/3 हिस्सा अलग कर कब्जा दिलवाया जावे तथा मानचित्र में तरमीम किया जावे?*.....**वादी**

वादी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए की वो विवादित आराजीयात के खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी होते उस आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जाता परंतु अपीलांट द्वारा खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाए जाने से यह तनकी उनके विरूद्ध तय की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्णय न्यायसंगत किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

से न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2015(2015/00481) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner